न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00098 (150/2016) 75 एलआरएक्ट

गोकलचन्द पुत्र हजारी लाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। –अपीलाण्ट

बनाम

1. धर्मपाल
2. जसवन्त } पि0 नेकीराम जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। –असल रेस्पोडेण्ट
3. छाजूराम
4. बलवीर } पि0 रामचन्द्र जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
5. दलीप
6. राजेराम } पि0 सुरजाराम जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
7. आत्माराम पुत्र हजारीलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. सुरताराम पुत्र बीरूराम जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.07.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा अनवान धर्मपाल बनाम छाजूराम प्रकरण संख्या 12/2011

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9

निर्णय दिनांक:– 03.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 8 (2) राज0 उप0 अधिनियम 1956 सामान्य शर्तें 1955 के अन्तर्गत अपनी भूमि में आने जाने के लिए चक ... के मु0 नं0 69 के किला नं0 14 के उत्तरी पश्चिमी ... फुट लम्बाई तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपीलाण्ट की दलील व अपीलाण्ट द्वारा प्रसतुत जवाब पर गौर किया जाकर व मौका कमीश्नर के प्रार्थना–पत्र का निर्णय कर विधि सम्मत निर्णय पारित करते, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना काई मौका रिपोर्ट लिए कतई मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसे पारित करने में विचारण न्यायालय विधिक भूल की है। अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावा में कथन किये थे कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 गांव बैर का निवासी है गांव बैर से चौधरी वास का रास्ता जाता है जो आगे मिलकर नहर को क्रोस करता है। नहर के दोनों पटरी पर रास्ता बना हुआ है एवं उक्त रास्ता से लोग–बाग अपने खेतों में जाते हैं प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 इसी चौधरी वास वाले रास्ते से चलकर नहर की पटरी पर बने रास्ता से होकर उतर की और चलकर अपने खेत में जो उक्त रास्ता से प्रवेश करते हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 इसी रास्ते से होकर अपने खेत में सदामत से आवागमन करते आ रहे हैं यह रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सुलभ एवं कम दूरी वाला है इसलिए दूसरा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। अपीलाण्ट के जवाब एवं मौका कमीश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना–पत्र पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलटी 2013 पार्ट–1 पेज 65, डीएनजे 2018 (रेव) पेज 65, डीएनजे 2016 (3)(रेव) पेज 222, डीएनजे 2017 (4) (रेव) पेज 168, डीएनजे 2017 (रेव) पेज 1, आरआरडी 2016 पेज 458 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में चाहे गये रास्ते के अलावा अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई सुलभ व सुगम रास्ता नही है। जिसके कारण विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पोडेण्ट ने डी.एल.सी. रेट की दो गुना राशि का चालान भी जमा करवा दिया है प्रार्थी के नाम नामान्तरण हो चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

गई थी जो अपील में संलग्न है जिसमें भी अपीलाण्ट के पास आवागमन हेतु कोई रास्ता नही होने का कथन आया है। रेस्पोडेण्ट ने रास्ते को बन्द कर दिया तथा कोठा का निर्माण कर लिया है जो अपीलाधीन निर्णय के बाद किया गया निर्माण हैं। रेस्पोडेण्ट के पास कोई रास्ता नही हेाने के कारण ही रास्ता स्वीकृत किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 (2) पेज 1193, 2017 आरआरटी (2) पेज 980, आरआरटी 2016 (1) पेज 440 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु किला चक 3 जेएसएल में मु0 नं0 69 के किला नं. 14 में उत्तरी पश्चिमी कुल 8 फुट चौड़ाई एवं 8 फुट लम्बाई तक रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2011 को मौका कमीश्नर नियुक्त करते हुए प्रश्नगत रास्ता के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना–पत्र पर कोई गौर नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये पारित किया आदेश है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2016 (3) पेज 222 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करनी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने चाहिए था। हालांकी अपील में दिनांक 11.03.2020 को मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है मगर अपील का निस्तारण इस मौका रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है तो अपीलाण्ट का प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि वह उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार से उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायलाय की समक्ष दिनांक 21.12.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3/11/20

(करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner